झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान–सभा

एकादश (बजट) सत्र

वर्ग–06

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, शनिवार, दिनांक :– 13, फाल्गुन, 1944 (श0) ..... को 04 मार्च, 2023 (ई0)

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
169.	पेय–06	श्री अमित कुमार यादव	उच्च स्तरीय कार्रवाई।	पेयजल एवं स्वच्छता	25.02.23
170.	पेय–13	श्री सोनाराम सिंकु	कार्य को पूर्ण करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	25.02.23
171.	पेय–11	डॉ0 लम्बोदर महतो	प्रशासनिक स्वीकृति दिलाना।	पेयजल एवं स्वच्छता	25.02.23
172.	ख–09	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता	कार्रवाई करना।	खान एवं भूतत्व	25.02.23
173.	जा–07	श्री अमित कुमार मण्डल	कृषि फीडर अधिस्थापित करना।	ऊर्जा विभाग	25.02.23
174.	जा–15	श्री मंगल कालिन्दी	तार एवं पोल बदलना।	ऊर्जा विभाग	25.02.23
175.	ख–01	श्री आलोक कुमार चौरसिया	कार्रवाई करना।	खान एवं भूतत्व	25.02.23
176.	जा–05	डॉ0 इरफान अंसारी	टांसफ़र्मर की मरम्मति।	ऊर्जा विभाग	25.02.23
177.	जा–04	श्री उमाशंकर अकेला	सब स्टेशन चालू कराना।	ऊर्जा विभाग	25.02.23
178.	जा–02	डॉ0कुशवाहा शशिभूषण मेहता	विद्युत आपूर्ति करना।	ऊर्जा विभाग	25.02.23
*179.	पेय–10	श्री मथुरा प्रसाद महतो	जलापूर्ति करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	25.02.23
180.	जा–01 (उत्तर मुद्रित)	श्री विनोद कुमार सिंह	ब्याज माफ करना।	ऊर्जा विभाग	15.02.23
181.	ख–10	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	लिर्डिंग प्वायंट निर्धारित करना	खान एवं भूतत्व	25.02.23
182.	ख–05	श्री कमलेश कुमार सिंह	बालू घाटों को शामिल करना	खान एवं भूतत्व	25.02.23
183.	पेय–08	श्री राजेश कच्छप	दोषियों पर कार्रवाई।	पेयजल एवं स्वच्छता	25.02.23
184.	जा–18	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	विल में सुधार कराना।	ऊर्जा विभाग	25.02.23
185.	पेय–03	श्री किशुन कुमार दास	संवेदक पर कार्रवाई।	पेयजल एवं स्वच्छता	25.02.23
186.	पेय–12	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता	पीने का पानी उपलब्ध कराना	पेयजल एवं स्वच्छता	25.02.23
187.	ख–06	श्री रामचन्द्र सिंह	मुआवजा प्रदान करना।	खान एवं भूतत्व	25.02.23

* पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पत्रांक-1145, दिनांक-27-02-23 द्वारा नगर विकास विभाग में स्थानान्तरित।

01	02	03	04	05	06
188.	ख–08	श्री राजेश कच्छप	बालू घाटों का नियंत्रण ग्राम सभा को सौंपना।	खान एवं भूतत्व	25.02.23
189.	जा–16	श्री रामचन्द्र सिंह	स्मार्ट मीटर लगाना।	ऊर्जा विभाग	25.02.23
190.	पेय–07	श्री दिनेश विलियम मराण्डी	चापा कलों की मरम्मति।	पेयजल एवं स्वच्छता	25.02.23
191.	पेय–09	श्री रणधीर कुमार सिंह	कार्रवाई करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	25.02.23
192.	जा–08	श्री रणधीर कुमार सिंह	ग्रिड चालू कराना।	ऊर्जा विभाग	25.02.23
193.	पेय–04	श्री किशुन कुमार दास	निर्माण कार्य पूर्ण करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	25.02.23
194.	जा–10	श्री अनन्त कुमार ओझा	केबलिंग कार्य पूर्ण कराना।	ऊर्जा विभाग	25.02.23
195.	ख–07	सुश्री अम्बा प्रसाद	एफ0आई0आर0 दर्ज करना	खान एवं भूतत्व	25.02.23
196.	पेय–02	श्री कोचे मुण्डा	जलापूर्ति योजना का निर्माण	पेयजल एवं स्वच्छता	21.02.23
197.	ख–03	डॉ0 इरफान अंसारी	कानूनी कार्रवाई करना।	खान एवं भूतत्व	25.02.23
198.	जा–11	श्रीमती सबिता महतो	बिजली व्यवस्था में सुधार।	ऊर्जा विभाग	25.02.23
199.	पेय–01	श्री विनोद कुमार सिंह	दोषियों पर कार्रवाई।	पेयजल एवं स्वच्छता	15.02.23
200.	जा–09	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	विद्युत लाईन को स्थानांतरित करना।	ऊर्जा विभाग	25.02.23
201.	जा–03	श्री निरल पुरती	बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।	ऊर्जा विभाग	25.02.23
202.	ख–02	श्री आलोक कुमार चौरसिया	माइन्स को चालू कराना।	खान एवं भूतत्व	25.02.23

राँची,
दिनांक– 04/03/2023 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या :– प्रश्न–14/2023– 771 /वि0स0,राँची,दिनांक– 01/03/23

प्रतिलिपिः– **झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरोज 01/03/23
(सरोज कुमार)
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या :– प्रश्न–14/2023– 771 /वि0स0,राँची,दिनांक– 01/03/23

प्रतिलिपिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के संयुक्त सचिव/ आप्त सचिव,सचिवीय कार्यालय को क्रमशः **माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।**

सरोज 01/03/23
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या :– प्रश्न–14/2023– 771 /वि0स0,राँची,दिनांक– 01/03/23

प्रतिलिपिः– **कार्यवाही शाखा, वेबसाईट शाखा, J.V.S TV, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा** को सूचनार्थ प्रेषित।

सरोज 01/03/23
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

शंकर/–

अशोक 28/02/23

(169)

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 04.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 06 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बरकट्ठा प्रखण्ड के ग्राम– तुर्कबाद में ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता निर्धारित मानक से बिल्कुल निम्न है, साथ ही निर्माण कार्य की अवधि समाप्त हो चुकी है जो विभागीय अभियन्ता एवं संवेदक की मिली भगत एवं घोर लापरवाही का स्पष्ट प्रमाण है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वन विभाग से NOC विलम्ब से प्राप्त होने तथा कोविड–19 में कार्य बाधित होने के कारण निर्माण कार्य ससमय पूर्ण नहीं हो पाया। वर्त्तमान में योजना का Trial & Run किया जा रहा है। वर्णित योजना का निर्माण कार्य एकरारनामा के अनुरूप कराया गया है। योजना में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों का TPIA के द्वारा सत्यापन कराया गया है। साथ ही निर्मित्त Concrete संरचना का Cube Test भी कराया गया है, जो मानक के अनुरूप है। निर्माण के दौरान योजना की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु समय–समय पर Third Party Agency (TPA) के द्वारा जाँच कराया गया है, जिसका निगरानी एवं अनुश्रवण क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त ग्रामीण जलापूर्ति योजना के निर्माण कार्य में बरती जा रही अनियमितता की अविलम्ब उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषी अभियन्ता एवं संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–196/2022– 1358 राँची, दिनांक :– 3/3/23

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 443, दिनांक– 25.02.2023 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–196/2022– 1358 राँची, दिनांक :– 3/3/23

प्रतिलिपि :– अपर सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

(170)

श्री सोनाराम सिंकू, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 04.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 13 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि जगन्नाथपुर विधान–सभा क्षेत्र के पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत प्रखण्ड– जगन्नाथपुर के मोंगरा जलापूर्ति योजना एवं प्रखण्ड नोवामुण्डी के कोटगढ़ जलापूर्ति योजना का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रखड– जगन्नाथपुर के मोंगरा जलापूर्ति योजना से ग्राम– डीपासाई उराँवसाई, कंसलापोस, मौलनानगर, जगन्नाथपुर, बालियाडीह, मोंगरा, चोओसाई, रूगुड़साई आदि ग्रामों में एवं प्रखण्ड– नोवामुण्डी के कोटगढ़ जलापूर्ति योजना से ग्राम– दनाऊली, पीटरबालजुड़ी सूकरीपाड़ा, बड़ापासिया, जेटेया, पीखरपी आदि ग्रामों में पेयजल हेतु विभाग द्वारा घर–घर नल दिया गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि Agency द्वारा कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया है;	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में मोंगरा जलापूर्ति एवं कोटगढ़ जलापूर्ति अधूरा योजना का कार्य को पूर्ण करते हुए ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने की विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तु स्थिति यह है कि मोंगरा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य वर्ष 2020 में पूर्ण कर लिया गया है एवं इस योजना के अन्तर्गत प्रश्न में वर्णित गाँवों के कुल 2,205 अदद् घरों में जलापूर्ति की जा रही है। एकरारनामा के अनुसार O&M का कार्य संबंधित एजेन्सी द्वारा किया जा रहा है। नोवामुण्डी बहु–ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य वर्ष 2022 में पूर्ण कर लिया गया है एवं इस योजना से कोटगढ़ सहित कुल 47 अदद् ग्रामों में कुल 10,545 अदद् घरों में जलापूर्ति की जा रही है। वर्त्तमान में योजना के O&M का कार्य संबंधित एजेन्सी द्वारा किया जा रहा है एवं Stand Post का भी निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–201/2022– 1350 राँची, दिनांक :– 3/3/23

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 527, दिनांक– 25.02.2023 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

(171)

डॉ० लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 04.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 11 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के गोमिया प्रखण्ड अन्तर्गत वर्त्तमान जलापूर्ति योजना का इंटेकवेल की गहराई कम होने के कारण अब तक शुद्ध/स्वच्छ एवं पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति नहीं हो पा रहा है तथा पुरानी जलापूर्ति योजना से भी योजना के जर्जर होने के कारण जलापूर्ति पूरी तरह बंद है जिसके कारण 20 हजार से ज्यादा लोग पेयजल से वंचित है;	अस्वीकारात्मक। बोकारो जिला के गोमिया प्रखण्ड अन्तर्गत गोमिया संयुक्त ग्रामीण जलापूर्ति योजना ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) के द्वारा संचालित है। इंटेकवेल की सफाई कराकर एवं 02 (दो) अदद् नया मोटर पम्प लगाकर जलापूर्ति की जा रही है। पुरानी योजना भी चालू है एवं जलापूर्ति की जा रही है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गोमिया एवं पिलहारी पंचायत के लिए कोनार नदी से पानी लेकर नया इंटेकवेल/WTP /पाईप लाईन बिछाते हुए नई जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–199/2022– 1349 राँची, दिनांक :– 3/3/23

प्रतिलिपि :–उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 525, दिनांक– 25.02.2023 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–199/2022– 1349 राँची, दिनांक :– 3/3/23

प्रतिलिपि :–उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

(172)

श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता, स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख०–09

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला का निरसा विधान–सभा क्षेत्र औद्योगिक खनन एवं घनी आबादी का क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक। धनबाद जिला के निरसा विधानसभा क्षेत्र में मेसर्स बी०सी०सी०एल० एवं मेसर्स ई०सी०एल० को कोयला खनिज हेतु खनन पट्टा प्राप्त है।
2	क्या यह बात सही है कि निरसा विधान–सभा क्षेत्र अंतर्गत राजा कोलियरी आउट सोर्सिंगं, कापासारा आउट सोर्सिंगं, बैजना आउट सोर्सिंगं, चापापुर 10नं0 आउट सोर्सिंगं एवं बी०सी०सी०एल० के अंतर्गत चलने वाले आउट सोर्सिंगं तथा अन्य कोयला क्षेत्रों में स्थानीय कोयला तस्करों व कोयला चोरों द्वारा बड़े पैमाने पर कोयले का अवैध खनन किया जा रहा है;	महाप्रबंधक, सुरक्षा मेसर्स बी०सी०सी०एल० के पत्रांक–शून्य, दिनांक–01.03.2023 से प्राप्त उत्तर–BCCL is doing its best effort to prevent illegal mining, Security of BCCL are manned mainly by CISF Regular inspection of the sites prone to illegal mining is being done by BCCL officials along with CISF. When any sign of illegal mining noticed, prmpt action for closing is being taken by oozing & filling illegal mine openings in the presence o local administration and CISF official महाप्रबंधक, गुमला क्षेत्र मेसर्स ई०सी०एल० के पत्रांक–38/231, दिनांक–02.03.2023 से प्राप्त उत्तर मुगमा क्षेत्र के कोलियरियों में कोयला चोरी/अवैध खनन के रोकथाम के लिए सुरक्षा प्रहरी रखे गए है। इसके अलावे सुरक्षा प्रहरी एवं सी०आई०एस०एफ० के संयुक्त टीम द्वारा पेट्रोलिंग किया जाता है। जब भी अवैध खनन का कोई संकेत मिलता है तो स्थानीय प्रशासन के मदद से कम्पनी सुरक्षा बल एवं सी०आई०एस०एफ० की उपस्थिति में अवैध खनन के मुहानों को डोजर/ जे०सी०बी० द्वारा त्वरित गति से भरा जाता है साथ ही संबंधित पुलिस स्टेशन में आवश्यक कार्रवाई हेतु एफ०आई०आर० भी दर्ज कराया जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि बड़े पैमाने पर कोयला तस्करों द्वारा कोयला तस्करी किए जाने पर लगाम लगाने के लिए उपरोक्त कंपनियों के प्रबंधन द्वारा कारगर कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण आए दिन दुर्घटना भी होती रहती है;	मेसर्स बी०सी०सी०एल० से प्राप्त उत्तर–No such incident of such type has been reported and if any such incident is found prompt action will be taken in liasing with CISF & local administration. मेसर्स ECL से प्राप्त उत्तर–यदि इस प्रकार किसी घटना की सूचना मिलेगी तो त्वरित आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कोयला चोरों तथा तस्करों पर समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	–तदैव–

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(ता०)–20/2023 352 /एम०, राँची, दिनांक:– 03/03/2023

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–520 दिनांक–25.02.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव

(173)

श्री अमित कुमार मंडल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–07 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री अमित कुमार मंडल, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि गोड्डा जिला के प्रखण्ड बसंतराय अन्तर्गत ग्राम-हिलावे, अमडीहा, बहियार, महेशपुर में वर्ष भर किसान कृषि उपज का कार्य करते आ रहे है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है, कि कृषक ग्रामीणों द्वारा खण्ड-एक में वर्णित ग्रामों में कृषि फीडर निर्माण की मांग करते आ रहे है;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है, कि खण्ड-एक में वर्णित ग्राम में कृषि फीडर नहीं रहने के कारण कृषक ग्रामीणों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्राम-हिलावे एवं अमडीहा, वहियार-महेशपुर में कृषि फीडर अधिष्ठापित करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	गोड्डा जिला के प्रखण्ड बसंतराय अन्तर्गत ग्राम-हिलावे, अमडीहा, बहियार, महेशपुर में घरेलु फीडर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है एवं ग्रामीण किसानों को उक्त फीडर से आपूर्ति की जा सकती है। परन्तु किसानों को डेडीकेटेड कृषि फीडर से आपूर्ति की आवश्यकता को देखते हुए 08 कि०मी० HT Line एवं 13 कि०मी० LT Line का प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृत किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 489 / दिनांक 03/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(174)

श्री मंगल कालिन्दी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–15 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री मंगल कालिन्दी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि मेरे विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत जमशेदपुर प्रखण्ड के दलदली, बेको, बड़ाबाँकी, पलासबनी एवं देवघर पंचायत स्थित गाँवों में लगे बिजली के तारें काफी पुरानी होने के कारण जर्जर हो चुके हैं, जिसके कारण कभी भी दुर्घटना होने की संभावना है;	आंशिक स्वीकारात्मक। इन क्षेत्रों में RE फीडर द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाती है, जो कि फीडर बहुत पुरानी है। इस फीडर के मेन लाईन को लगभग 15 कि०मी० Re-Conductoring का कार्य JSBAY Rural योजना के अन्तर्गत किया गया है। शेष कार्य को RDSS योजना तहत् समायोजित कर लिया गया है। कुछ संभावित दुर्घटना वाले क्षेत्र जैसे-रूहीडीह, डालापानी, हारमाडीह, महतो बाँध के उपर से गुजर रहे लाईन को अन्यत्र जगह विस्थापित कर दिया गया है, साथ ही बड़ाबाँकी में 120 पोल, 4.5 कि०मी० एल०टी० केबल, 100 के०भी०ए० का ट्रांसफार्मर एवं बेलाजुडी में 55 पोल तथा देवघर पंचायत स्थित ग्राम रूपाईडाँगा में 63 पोल का कार्य JSBAY Rural योजना के तहत किया जा चुका हैं। शेष कार्य प्रगति पर है।
2. क्या यह बात सही है कि बड़ाबाँकी पंचायत अन्तर्गत पिपला गाँव में जर्जर तार बहते नाले में गिरने के कारण दुर्घटना हो चुकी है;	स्वीकारात्मक। पीपला ग्राम स्थित बहते नाला के उपर से गुजर रहे फीडर का इन्सुलेटर पंचर होने के कारण नाला में तार गिरने के कारण दुर्घटना हुई थी। उक्त फीडर को नाला के उपर से गुजर रहे लाइन को अन्यत्र जगह स्थानांतरित कर दिया गया है एवं गार्ड वायर लगा दिया गया है।
3. क्या यह बात सही है कि जर्जर एवं पुराने बिजली तार होने के कारण ट्रांसमिशन में बिजली की बर्बादी भी हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त सभी समस्याओं के समाधान हेतु खण्ड-१ में वर्णित पंचायतों में नये बिजली तार एवं खम्भे लगवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	स्वीकारात्मक। RDSS योजना के तहत RE फीडर के पुराने पोल एवं तारों को Re-Conductoring का कार्य हेतु समायोजित कर लिया गया है। इस योजना के प्रारम्भ होते ही प्राथमिकता के आधार पर कार्य को शीघ्रताशीघ्र सम्पादित कर दिया जाएगा। वैसे संभावित दुर्घटना क्षेत्र जैसे-रूहीडीह, डालपानी, हारमाडीह, महतो बाँध आदि क्षेत्रों में विभागीय योजना के तहत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 477 / दिनांक 03/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/11.01
03/3/23
(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

श्री आलोक कुमार चौरसिया, स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख०–01

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि पलामू प्रमण्डल में बालू का उठाव नहीं होने से सरकारी भवनों तथा निजी भवनों के निर्माण कार्य बन्द हो गया है;</td><td>पलामूः–वस्तुस्थिति यह है कि पलामू जिलान्तर्गत Category- 1 के 44 चिह्नित बालूघाटों के संचालन हेतु उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, पलामू के आदेश सह पठित ज्ञापांक–1686/ एम० दिनांक–03.11.2018 द्वारा सभी संबंधित को दिशा निदेश जारी किया गया है एवं पलामू जिलान्तर्गत कुल 08 बालू खनिज के खनिज विक्रेता निबंधन (भंडारण अनुज्ञप्ति) चालू है। जिसकी सूचना समाचार पत्रों एवं सूचना पट के माध्यम से आमजनों को उपलबध कराई गई है।
लातेहारः– लातेहार जिलान्तर्गत Category- I के चिह्नित कुल–36 बालूघाटों के संचालन हेतु उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार के आदेश सह पठित ज्ञापांक–893/एम०, लातेहार, दिनांक–08.12.2018 एवं पुनः कार्यालय पत्रांक–981/एम०, लातेहार, दिनांक– 17.10.2022 द्वारा सभी संबंधित को दिशा–निर्देश दिया गया है तथा लातेहार जिलान्तर्गत कुल–05 बालू खनिज के खनिज विक्रेता निबंधन (भण्डारण अनुज्ञप्ति) चालू है।
गढ़वाः– Category- I के 07 बालू घाट पंचायत द्वारा संचालित हैं। JSMDC द्वारा Category-II का 01 बालू घाट संचालित है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि बिचौलिया तथा पुलिस के मिली भगत से चुपे–चोरी कोयल नदी, आमानत नदी तथा गुरसूती नदी से बालू का उत्खनन उच्चे दामों पर हो रही है;</td><td>अत्तर अस्वीकारात्मक।
पलामूः– पलामू जिलान्तर्गत बालू खनिज के अवैध परिवहन/भंडारण के विरूद्ध की गयी कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन निम्नवत् हैः–
<table>
<tr><th>क्र०</th><th>वर्ष</th><th>प्राथमिकी दर्ज की संख्या</th><th>जब्त वाहनों की संख्या</th><th>वसूल की गई राशि (रूपये में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2020–2021</td><td>29</td><td>174</td><td>17.54</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2021–2022</td><td>01</td><td>226</td><td>55.22</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2022–2023 (माह फरवरी, 2023 तक)</td><td>18</td><td>268</td><td>65.21</td></tr>
</table>
गढ़वाः– बालू खनिज के अवैध खनन एवं परिवहन के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए 70 प्राथमिकी दर्ज, 349 वाहन जब्त तथा 28. 66 लाख रूपये दण्ड की वसूली की गई है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या यह बात सही है कि गाँव के हजारो मजदूर शहर में काम करने आते है परन्तु बालू के अभाव में काम बन्द होने से पुनः ये अपने घर वापस लौट जाते है;</td><td>यथा कंडिका–1</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मजदूरों के बीच उत्पन्न आर्थिक स्थिति को देखते हुए बालू का उठाव कराने तथा बिचौलिया तथा ऐसे संलिप्त पुलिस कर्मी की पहचान करते हुए सख्त कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>यथा कंडिका–1</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि०स०(ता०)–32/2023 356 /एम०, राँची, दिनांकः– 03/03/2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–449 दिनांक–25.02.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव

(176)

श्री इरफान अंसारी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–05 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री इरफान अंसारी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि जामताड़ा में T.R.W चालू हो जाने के बाद भी ग्रामीणों को ट्रांसफार्मर लाने के लिए दुमका ही जाना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है, कि T.R.W. जामताड़ा में ना पुराने ट्रांसफार्मर की मरम्मति हो रही है और ना ही नए ट्रांसफार्मर की आपूर्ति की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को T.R.W. स्थापना से कोई लाभ नहीं पा रहा है;	अस्वीकारात्मक। नए ट्रांसफार्मर का निर्गमन केन्द्रीय भण्डार, दुमका से किया जाता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शीघ्र नए ट्रांसफार्मर की आपूर्ति एवं पुराने ट्रांसफार्मर की मरम्मति की सुविधा T.R.W. जामताड़ा जिले के उपभोक्ताओं को देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	T.R.W. जामताड़ा में ट्रांसफार्मर मरम्मति का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो रहा है एवं नए ट्रांसफार्मर की आपूर्ति केन्द्रीय भण्डार दुमका से की जाती है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 482 / दिनांक 03/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(177)

श्री उमाशंकर अकेला, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–04 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री उमाशंकर अकेला, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग जिला के प्रखण्ड (1) गुड़ियो विजैया में पावर सब स्टेशन तथा पदमा प्रखण्ड के (2) नचनेव ग्राम में पावर सब स्टेशन बनाया गया है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है, कि दोनों पावर सब स्टेशन निर्माण के बाद चालू नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अतिशीघ्र सब स्टेशन को चालू कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	गुडियों विजैया में पावर सब-स्टेशन को ऊर्जान्वित करने हेतु 33 के०भी० लाइन का कार्य तथा पेड़ों की छटनी का कार्य प्रगति पर है कार्य पूर्ण होते ही 15 दिनों के भीतर लाइन चालु कर दिया जाएगा। पदमा प्रखंड के नचनवे में पावर सब-स्टेशन का निर्माण कार्य कर लिया गया है परन्तु वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हो पाया है जिसके कारण लाइन का निर्माण कार्य चालु नहीं किया गया है, अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होते ही लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण कर पावर सब-स्टेशन को चालु कर दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 483 / दिनांक 03/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

178

श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–02 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के पांकी विधान–सभा क्षेत्र में विद्युतापूर्ती व्यवस्था को सुचारू बनाने हेतु तरहसी प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत गुरहा के ग्राम परसाईं में 33/11 के०वि० विद्युत सब–स्टेशन का निर्माण कराया गया है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है, कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद भी आजतक खण्ड–1 में वर्णित सब–स्टेशन को प्रारंभ नहीं किया गया है, जिससे विद्युतापूर्ती से सम्बंधित समस्याएं यथावत बनी हुई है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित स्थल में निर्मित 33/11 के०वि० विद्युत सब–स्टेशन को प्रारंभ कराकर विद्युतापूर्ती सुचारू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	33/11 के०भी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र को 33/11 के०भी० लाईन से No Load पर चार्ज किया गया है तथा 11 के०भी० लाईन में ट्री–कटिंग एवं अन्य मरम्मतिकरण का कार्य प्रगति पर है। विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, तरहसी से विद्युत आपूर्ति माह मार्च 2023 में प्रारंभ किया जाना निर्धारित है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 486 / दिनांक 03/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

179

श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.03.2023 को पूछा जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–पेय–10 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र वार्ड संख्या–06 कोल फिल्ड एरिया है, जिससे बोरिंग करने पर पानी निकलने की संभावना ना के बराबर होती है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित वार्ड के पुराना श्याम बाजार में पयेजल हेतु पाईप लाईन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है परन्तु जलापूर्ति कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है तथा भेलाटांड़ ऊपर बस्ती में पाईप लाईन का कार्य नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। पुराना श्याम बाजार में पाईप लाईन बिछाने का कार्य चल रहा है एवं परियोजना के अन्य अव्ययों का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जलापूर्ति शुरू कर दिया जायेगा। वर्ष 2017 में जब योजना के स्वीकृति के समय भेलाटाड़ धनबाद नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत नहीं होने के कारण ऊपर बस्ती (भेलाटाड़) में पाईप लाईन बिछाने का Scope इस परियोजना में नहीं था। धनबाद नगर निगम से प्रतिवेदन प्राप्त कर इस क्षेत्र में पाईप लाईन बिछा कर जलापूर्ति करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित वार्ड के पुराना श्याम बाजार में भेलाटांड़ उपर बस्ती में पाईप लाईन द्वारा पेयजल आपूर्ति नहीं होने से उक्त स्थल में निवास करने वाले नागरिकों को पेयजल हेतु काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड 1 में वर्णित वार्ड के पुराना श्याम बाजार एवं भेलाटांड़ उपर बस्ती में पाईप लाईन कार्यों को पूर्ण करते हुए सुचारू रूप से जलापूर्ति कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–5 / तारांकित–07 / 2023 / न०वि०आ० 911 राँची, दिनांक–04/03/23

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–524 / वि०स० दिनांक–25.02.2023 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/23
सरकार के अवर सचिव।

(12) (180)

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–01 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी उपभोक्ताओं को ब्याज के कारण ज्यादा बिल चुकाना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। वैसे उपभोक्ता जिनके द्वारा ससमय विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं किया जाता है, उनको बकाया विपत्र राशि पर ब्याज भारित किया जाता है।
2. क्या यह बात सही है कि गत वर्ष सरकार ने एकमुश्त भुगतान पर ब्याज माफी का निर्णय लिया था, लेकिन लॉक डाउन के दुष्प्रभाव के कारण लाखों उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने से वंचित रह गए;	अस्वीकारात्मक। सरकार द्वारा ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए लॉक डाउन समाप्त होने के बाद 16 मई 2021 से 31 दिसम्बर 2021 तक एकमुश्त भुगतान पर ब्याज माफी योजना लागू की गई थी एवं निगम द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया गया था। परिणामतः 107387 उपभोक्ताओं का 48.80 करोड़ रूपये ब्याज भी माफ किया गया।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुनः ग्रामीण उपभोक्ताओं को ब्याज माफी का विकल्प देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान में एकमुश्त ब्याज माफी से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 373 / दिनांक 23/02/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/2023

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ब्याज माफ करना ।

*180. श्री विनोद कुमार सिंह--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी उपभोक्ताओं को ब्याज के कारण ज्यादा बिल चुकाना पड़ रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि गत वर्ष सरकार ने एकमुश्त भुगतान पर ब्याज माफी का निर्णय लिया था, लेकिन लॉक डाउन के दुष्प्रभाव के कारण लाखों उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने से वंचित रह गए;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पुनः ग्रामीण उपभोक्ताओं को ब्याज माफी का विकल्प देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक । वैसे उपभोक्ता जिनके द्वारा ससमय विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं किया जाता है, उनको बकाया विपत्र राशि पर ब्याज भारित किया जाता है ।

(2) अस्वीकारात्मक । सरकार द्वारा ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए लॉक डाउन समाप्त होने के बाद 16 मई, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक एकमुश्त भुगतान पर ब्याज माफी योजना लागू की गई थी एवं निगम द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया गया था । परिणामतः 107387 उपभोक्ताओं का 48.80 करोड़ रुपये ब्याज भी माफ किया गया ।

(3) वर्तमान में एकमुश्त ब्याज माफी से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

181

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख०–10

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिले में किसी भी कार्य प्रमंडल में कार्य कराने हेतु गोड्डा जिला के कझिया नदी से बालू का उठाव हेतु स्थान निर्धारित है;	गोड्डा जिलान्तर्गत कझिया नदी अथवा अन्य नदी में वर्त्तमान समय में एक भी बालूघाट संचालित नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल पर बालू कि उपलब्धता नहीं होने के कारण यहाँ के संवेदक दुमका एवं बॉका के बालू मंगवाने हेतु बाध्य है, जिसके लिए उनसबों को कार्य कराने हेतु निर्धारित दर से अतिरिक्त पॉच गुणा राशि चुकाना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बालू के उठाव हेतु दुमका को लिडिग प्लांईट निर्धारित करना चाहती है, हॉं, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या–125 दिनांक–15.01.2016 तथा 2827 दिनांक–25.07.2018 एवं Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 के अनुसार बालूघाट संचालन के पूर्व जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन (DSR), पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) तथा CTO प्राप्त करना आवश्यक है। वर्त्तमान में गोड्डा जिला के लिए बालू खनिज का जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन (DSR) तैयार हो चुका है, जो अनुमोदन के प्रक्रियाधीन है। DSR का अनुमोदन के उपरांत जिला के Category-II के बालूघाटों के लिए EC तथा CTO प्राप्त कर JSMDC द्वारा संचालन किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(ता०)–21 / 2023 350 /एम०, राँची, दिनांक:–03/03/2023

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–521 दिनांक–25.02.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव

(182)

श्री कमलेश कुमार सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख०–05

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बालू घाटों को 2Category में रखा गया है तथा Category-1 के बालू घाटों से बालू के उठाव पर कोई रोक नहीं है;	Jharkhand Sand Mining Policy, 2017 के तहत नदी/नालों में अवस्थित बालू खनिज का Category-I एवं Category-II में वर्गीकृत किया गया है। जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA), पलामू के द्वारा दिनांक–09.12.2017 को अनुमोदित पलामू जिला के बालू खनिज से संबंधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) के अनुसार चिह्नित Category-I के बालूघाटों से बालू के उठाव पर कोई रोक नहीं है।
2	क्या यह बात सही कि पलामू जिला अन्तर्गत हुसैनाबाद प्रखण्ड के कररबार नदी एवं हड़ही नदी, हैदरनगर प्रखण्ड के कुकही नाला एवं जहाड़ी नाला, मोहम्मदगंज प्रखण्ड के लठेया नाला एवं सगराहा नाला, हरिहरगंज प्रखण्ड के कुलहिया नाला बतरे नाला तथा खजुरिया नाला का बालू घाट Category-1 में चिन्हित है;	उत्तर स्वीकारात्मक है। जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA), पलामू के द्वारा दिनांक–09.12.2017 को अनुमोदित पलामू जिला के बालू खनिज से संबंधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) के अनुसार प्रश्नगत Category-I के बालूघाट चिह्नित हैं।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित बालू घाटों में उपलब्ध बालू की गुणवत्ता अत्यंत घटिया है, जिसके कारण किसी भी निर्माण कार्य में उपयोग नहीं किया जा सकता है;	इस विषय के संबंध में विभाग को सूचना अप्राप्त है।
4.	क्या यह बात यही है कि मुख्यालय स्तर से जिला स्तर पर डिस्टिक सर्वे रिपोर्ट के आलोक में Category-1 के घाटों को संशोधन करने हेतु सभी उपायुक्तों को वर्ष–2021 में ही निदेश प्राप्त है, इसके बावजूद 31 जनवरी, 2023 तक Category-1 के बालू घाटों का संशोधन नहीं किया गया है;	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या–125 दिनांक–15.01.2016 तथा 2827 दिनांक–25.07.2018 एवं Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 के आलोक में पलामू जिला के बालू खनिज से संबंधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) के सम्पादन की कार्रवाई प्रगति पर है। चिह्नित Category-I के बालूघाट की अद्यतन सूची DSR (Sand) में अंगीकृत रहता है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बालू घाटों का पुनः सर्वेक्षण कराकर हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज, हरिहरगंज व पिपरा प्रखण्ड सहित पलामू जिला के प्रत्येक प्रखण्ड में कम से कम 2 गुणवत्तापूर्ण बालू घाट को कैटेगरी–1 में शामिल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या–125 दिनांक–15.01.2016 तथा 2827 दिनांक–25.07.2018 एवं Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 के आलोक में पलामू जिला के बालू खनिज से संबंधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) के सम्पादन की कार्रवाई प्रगति पर है। चिह्नित Category-I के बालूघाट की अद्यतन सूची DSR (Sand) में अंगीकृत रहता है। वर्त्तमान में पलामू जिला के लिए बालू खनिज का जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन (DSR) तैयार किये जाने के प्रक्रियाधीन है। DSR का अनुमोदन के उपरांत जिला के Category-II के बालूघाट के लिए JSMDC द्वारा EC तथा CTO प्राप्त कर संचालन किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(ता०)–34/2023 354 /एम0, राँची, दिनांक:– 03/03/2023

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप स० प्र०–446 दिनांक–25.02.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव

(183)

श्री राजेश कच्छप, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 04.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 08 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		**श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–**
1.	क्या यह बात सही है कि खिजरी विधानसभा क्षेत्राधीन गाँवों में केन्द्र सरकार की 60% Assistance व राज्य सरकार की 40% Assistance के जल नल योजनान्तर्गत स्थानीय विधायक से अनुशंसा तो लिया गया लेकिन शिलान्यास–उद्घाटन से स्थानीय विधायक को दूर रखते हुए योजना के लिये निर्धारित सभी नियमों/मापदंडों का घोर उल्लंघन किया गया है;	**अस्वीकारात्मक।** योजनाओं का शिलान्यास/उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार, माननीय विभागीय मंत्री, माननीय सांसद एवं स्थानिय माननीय विधायक महोदय द्वारा दिनांक– 29.12.2021 को Online के माध्यम से किया गया था।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड– 1 में वर्णित योजना की कार्यान्वयन में ग्रामसभा का Utility प्रमाण पत्र नहीं लेना Tenderer व पदाधिकारियों का मिलीभगत से व्यापक भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है;	**अस्वीकारात्मक।** सभी योजनाएँ VWSC की देख–रेख में क्रियान्वित हो रही है। साथ ही हर घर जल की Reporting एवं Certification में ग्राम–सभा के सहमति से ही हर घर जल की घोषणा की जाती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड– 1 एवं 2 में वर्णित विषय पर उच्च स्तरीय जाँच कर कार्रवाई के साथ–साथ दोषियों पर दंडात्मक कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड– 01 एवं 02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–197/2022– 1356 राँची, दिनांक :– 3/3/23

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 522, दिनांक– 25.02.2023 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–197/2022– 1356 राँची, दिनांक :– 3/3/23

प्रतिलिपिः– अपर सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

(184)

श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–18 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि खूँटी विधानसभा के मुरहू प्रखण्ड के बिचना पंचायत के जलटंडा गाँव, कुंजला पंचायत के चारीद बरटोली एवं कर्रा प्रखण्ड के कच्चावारी गाँव के ग्रामीणों का बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। बिचना पंचायत के जलटंडा ग्राम के ग्रामीणों के द्वारा बिजली बिल से संबंधित मात्र पाँच शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनका बिजली बिल में सुधार की प्रक्रिया की जा चुकी है।
2. क्या यह बात सही है कि अत्यधिक बिल आने से गाँव के ग्रामीणों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सभी उपभोक्ताओं का विद्युत विपत्र टैरिफ के नियमानुसार निर्गत किया जाता है। ग्रामीणों द्वारा ससमय भुगतान नहीं करने की स्थिति में विलंब शुल्क अधिभार (DPS) भारित होता है जिससे विपत्र की राशि अत्यधिक हो जाती है। साथ ही वैसे ग्रामीण उपभोक्ताओं जिनका मीटर खराब या जला हुआ है, उन्हें टैरिफ के नियमानुसार औसत बिल निर्गत किया जाता है। इसके समाधान हेतु ग्रामीणों से प्राप्त शिकायत के आधार पर विभाग द्वारा मीटर बदला जा रहा है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है तो क्या सरकार ग्रामीणों को भेजे गये बिजली बिल में सुधार कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभाग द्वारा नियमित रूप से ऊर्जा मेला लगाया जाता है, साथ ही ऊर्जा संवाद का Whatsapp group बनाया गया है, जिसमें ग्रामीण प्रतिनिधि (बिजली दोस्त) एवं माननीय मुखिया जी को भी सम्मिलित किया गया है एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं के विपत्र एवं बिजली से संबंधित अन्य समस्याओं का समाधान नियमित रूप से किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 475 / दिनांक 03/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

185

श्री किशुन कुमार दास, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 04.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 03 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि विधान–सभा क्षेत्र सिमरिया में प्रखण्ड टण्डवा में ग्रामीण जलापूर्ति हेतु जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट (DMFT) मद से 233 करोड़ का संविदा किया गया;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि संवेदक द्वारा पाँच वर्ष बीत जाने के पश्चात भी अभी तक बराज का निर्माण एवं पानी टंकी का निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया है एवं सिर्फ पाईप लाईन का कार्य जहाँ–तहाँ लगाकर काफी राशि की निकासी कर ली गई है;	वस्तुस्थिति यह है कि सम्पूर्ण टण्डवा प्रखण्ड ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना का एकरारनामा दिनांक– 28.11.2018 को किया गया है जिसका एकारारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि 27.05.2022 है। बराज निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है परन्तु पानी टंकी का निर्माण प्रगति में है। Drawing के अनुसार पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। योजना की भौतिक प्रगति 40% है, जिसके विरूद्ध संवेदक को कार्य के अनुरूप राशि रूपये 60.22 करोड़ भुगतान किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्रामीण जलापूर्ति योजना कार्य को उच्च स्तरीय जाँच कर संवेदक पर कार्रवाई करते हुए बराज निर्माण एवं पानी टंकी का निर्माण कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कार्यपालक अभियन्ता, चतरा के द्वारा संवेदक को कार्य पूर्ण करने हेतु चेतावनी दी गयी है। संवेदक के द्वारा कार्य शीघ्रता से पूर्ण नहीं करने पर संवेदक के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्रवाई की जायेगी। वर्त्तमान में योजना के Floating Jetty का कार्य किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–192/2022– 1357 राँची, दिनांक :– 3/3/23

प्रतिलिपि :–उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 440, दिनांक– 25.02.2023 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–192/2022– 1357 राँची, दिनांक :–3/3/23

प्रतिलिपि :–अपर सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

(186)

श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 04.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 12 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला का निरसा विधान–सभा क्षेत्र औद्योगिक खनन एवं घनी आबादी का क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के प्रखण्ड– निरसा के अन्तर्गत तेतुलिया में स्थित अंकुर बायोकेम प्राईवेट लिमिटेड के कारखाने से प्रदूषित केमिकल, गाद एवं गंदे पानी को बगल में स्थित खुदिया नदी के जल में बहाया जा रहा है जिससे नदी का जल प्रदूषित हो गया है;	प्रश्नांकित खुदिया नदी के Down Stream से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की कोई भी जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन अथवा संचालन नहीं किया जा रहा है। अतएव विभाग के द्वारा उक्त क्षेत्र में जल की जाँच नहीं की गयी है।
3.	क्या यह बात सही है कि नदी के अगल–बगल के लोगों को नदी का जल प्रदूषित होने के कारण पीने का पानी की समस्या से जूझ रहे हैं तथा चर्म रोग से पीड़ित हो रहे हैं तथा गर्मी में पीने का पानी की घोर कमी हो जाती है;	वर्त्तमान में नदी के अगल–बगल के क्षेत्र बेलकूपा पंचायत के कुल 6,191 अदद् आबादी हेतु 97 अदद् नलकूपों से जलापूर्ति की जा रही है, जो विभागीय मानक के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त 08 अदद् एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना (SVS) के द्वारा कुल 186 अदद् घरों में गृह–जल संयोजन का कार्य प्रगति में है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त तेतुलिया में खुदिया नदी के अगल–बगल के गांवों में नल जल योजना या सी०एस०आर० के तहत कंपनी प्रबंधन द्वारा पीने का पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त क्षेत्र में निरसा–गोविन्दपुर (उत्तरी क्षेत्र) बहु–ग्रामीण जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा था, जिसकी भौतिक प्रगति 52% है। संवेदक द्वारा कार्य धीमी गति से करने के कारण एकरारनामा को निरस्त कर दिया गया है एवं शेष बचे कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–200/2022– 1353 राँची, दिनांक :– 3/3/23

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 526, दिनांक– 25.02.2023 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23

(के० के० पटेल)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–200/2022– 1353 राँची, दिनांक :– 3/3/23

प्रतिलिपि :– अपर सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 05, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23

(के० के० पटेल)

सरकार के अवर सचिव।

(187)

श्री रामचन्द्र सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख०–06

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के थाना–सतबरवा अन्तर्गत ग्राम–रजडेरवा में स्थापित "तिरूपति कार्बन एण्ड केमिकल फैक्ट्री" के प्रोपराईटर द्वारा ग्राम–गौरा, पो+थाना–सतबरवा, जिला–पलामू में ग्रेफाईट उत्खनन कार्य के उपरांत लगभग 50 फीट गड्ढा कर छोड़ दिया गया है जिसमें पानी भरा हुआ है जो नियमानुकूल नहीं है;	वस्तुस्थिति यह है कि पलामू जिला के सतबरवा अंचल अंतर्गत मौजा गौरा, थाना सतबरवा में प्लॉट संख्या 82 एवं 187 (अंश), रकबा 11.52 एकड़ क्षेत्र पर ग्रेफाईट खनिज के खनन पट्टा दिनांक–17.03.2052 तक के लिए श्री शिशिर कुमार पोद्दार, पोद्दार निकेत, बारियातु रोड़, राँची के पक्ष में स्वीकृत है। प्रश्नगत घटना से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु थाना प्रभारी, सतबरवा थाना, पलामू से समन्वय स्थापित किया गया। तत्पश्चात् इनके ज्ञापांक–308 / 223, दिनांक–01.03.2023 द्वारा प्रश्नगत घटना से निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराई गई है, जो यथास्थिति नीचे अंकित है:– 1. जिला पलामू के सतबरवा थाना अंतर्गत ग्राम रजडेरवा में तिरूपति कार्बन एण्ड केमिकल्स फैक्टरी अवस्थित है जिसके प्रोपराईटर द्वारा ग्राम गौरा, थाना सतबरवा, पलामू में ग्रेफाईट उत्खनन कार्य के उपरांत 50 फीट का गढ़ा कर छोड दिया गया है जिसमें पानी भरा हुआ है। 2. दिनांक–21.08.2022 को क्रमशः (1) मो० अकमान आरजू, उम्र–11 वर्ष, पिता मो० हारूण रसीद (2) अफसर गाजी, उम्र–10 वर्ष, पिता मो० वकील अंसारी (3) अमन राजा उम्र–10 वर्ष पिता मो० मुसताक आलम तीनों ग्राम ताबर, पोस्ट एवं थाना सतबरवा, पलामू सभी का मृत्यु गौरा माईन्स के गढ़े में डुबने से मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में सतबरावा थाना कांड संख्या–78 / 2022, दिनांक– 24.08.2022, धारा–304 भा०द०वि० के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। 3. कांड के प्रा०अभि० शिशिर पोद्दार दिनांक–13.02.2023 माननीय न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त है। 4. कांड अनुसंधान अंतर्गत है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित गड्ढा / खाई में विगत् 21.08.2022 को ग्राम–ताबर पंचायत–पोची, प्रखण्ड–सतबरवा के तीन बच्चे क्रमशः (1)–मो० अकमान आरजू उम्र–11 वर्ष, पिता–मो० हारूण रसीद (2)–अफसर गाजी, उम्र–10 वर्ष पिता–मो०–वकील अंसारी (3)–अमन राजा उम्र–10 वर्ष, पिता – मो० मुस्ताक आलम की डूबने से मृत्यु हो गई है;	
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–02 में वर्णित घटना खण्ड–01 में वर्णित फैक्ट्री के मालिक एवं पदाधिकारियों द्वारा माईनिंग प्लान का दिशा निर्देश का उल्लंघन करने के कारण हुई है;	वर्णित घटना से संबंधित मामला कांड संख्या–78 / 2022 दिनांक–24.08.2022 अनुसंधान अंतर्गत है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित फैक्ट्री के मालिक तथा लापरवाह विभागीय पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए मृतक के परिजनों को समुचित मुआवजा प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	–तदैव–

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि०स०(ता०)–18 / 2023 347 /एम०, राँची, दिनांकः– 03/03/2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–445 दिनांक–25.02.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव

20 (188)

श्री राजेश कच्छप, स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख०–08

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों क शासन–प्रशासन ग्राम–स्वराज के तहत संवैधानिक ग्राम–सभा में निहित है;	पंचायती राज विभाग से संबंधित है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित क्षेत्रों के बालुघाटों पर नियंत्रण सदैव ग्राम–सभा की रही है जिससे गाँववालों को रोजगार मिलता था परन्तु विगत कुछ वर्षो से उक्त व्यवस्था को असंवैधानिक रूप में विलोपित करते हुए घाटो की निलामी बाहरी तत्वों/माफियाओं/ठेकेदारों के नाम किया जा रहा है जो बेहद चिंता का विषय है;	अस्वीकारात्मक। राज्यान्तर्गत Jharkhand Sand Mining Policy, 2017 लागू की गई है, जिसके तहत Category-I बालूघाटों का संचालन ग्राम पंचायत/स्थानीय स्वशासी संस्थानों द्वारा किया जाना है। उक्त घाटों के बालू का गैर वाणिज्य कार्य में उपयोग किया जा सकता है, जिसके लिए प्रबंधन शुल्क रूपये 100/प्रति 100 CFT निर्धारित है। राज्य के Category-II बालूघाटों के संचालन राज्य के उपक्रम M/s JSMDC Ltd. के द्वारा किया जाता है। M/s JSMDC Ltd. के द्वारा बालू खनिज हेतु 750/100 CFT के दर निर्धारित किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित निलामी से बालू के दामों में Geometric वृद्धि के साथ–साथ अनु० क्षेत्रों के लिये बनाये गये Constitutional Provisions का उल्लंघन हो रहा है;	–तदैव–
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित ग्राम–सभा को खण्ड–2 एवं 03 वर्णित गंभीर विषय पर बालूघाटों का नियंत्रण पूर्ण रूपेण सौंपे जाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	–तदैव–

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(ता०)–35/2023 332 /एम०, राँची, दिनांक:– 01·03·2023

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–519 दिनांक–25.02.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव

189

श्री रामचन्द्र सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–16 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री रामचन्द्र सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत प्रखण्ड बरवाडीह, गारू एवं महुआडांड में स्मार्ट मीटर का अधिष्ठापन मेसर्स बी०पी०एल० कम्पनी के द्वारा विद्युत उपभोक्ताओ के घरों में किया जाना है;	आंशिक स्वीकारात्मक। स्मार्ट मीटर का कार्य इन प्रखण्डों में नहीं किया जा रहा है। M/s HPL कम्पनी के द्वारा 1 फेज मीटर लगाया जा रहा है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित कम्पनी बहुत ही धीमी गति अथवा ना के बराबर स्मार्ट मीटर का अधिष्ठापन का कार्य कर रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित कंपनी को हटाते हुए दूसरी कम्पनी को इस क्षेत्र के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर का अधिष्ठापना कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	M/s HPL को 703 अद्द मीटर अधिष्ठापन का कार्य दिया गया है, जिसमें से M/s HPL द्वारा Defective Meter 130 अद्द एवं un-meter 129 अद्द कुल 259 अद्द अधिष्ठापित किया जा चुका है। शेष 444 मीटर 31 मार्च 2023 तक अधिष्ठापित कर दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 476 / दिनांक 03/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

190

श्री दिनेश विलियम मरांडी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 04.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 07 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि लिट्टीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र एक अनुसूचित जनजाति एवं पहाड़िया जनजाति बहुल क्षेत्र है जहाँ हमेशा गाँवों एवं सुदूर ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत रहती है;	**अस्वीकारात्मक।** लिट्टीपाड़ा विधान–सभा क्षेत्रान्तर्गत पेयजलापूर्ति की स्थिति निम्न है :– 1. सोलर आधारित कुल 128 अदद् PVTG जलापूर्ति योजना चालू है। 2. अमरापाड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना से अपरापाड़ा संथाली एवं बासमती ग्राम के कुल 1,395 अदद् घर आच्छादित कर पेयजलापूर्ति की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि इस विधान सभा क्षेत्र के लोग पानी के लिए चापाकलों पर निर्भर है;	**अस्वीकारात्मक।** उपर्युक्त खण्ड में वर्णित योजनाओं के अतिरिक्त इन क्षेत्रों में निम्न वर्णित योजनाओं का कियान्वयन किया जा रहा है। 1. लिट्टीपाड़ा पूर्ण प्रखण्ड आच्छादन का कार्य प्रगति पर है। 2. अमरापाड़ा तथा हिरणपुर सम्पूर्ण प्रखण्ड आच्छादन हेतु बहु–ग्रामीण जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। शेष बचे क्षेत्रों को SVS के तहत् आच्छादित करने की कार्रवाई की जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि चापाकलों की मरम्मति पाईप की कमी के कारण नहीं हो पा रहा है तथा चापाकल में लगने वाले पाईप नहीं होने के कारण सम्पूर्ण चापाकल फेल हो चुके है, जिसके कारण जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है;	वस्तु स्थिति यह है कि लिट्टीपाड़ा विधान–सभा अन्तर्गत लिट्टीपाड़ा, अमरापाड़ा एवं हिरणपुर प्रखण्ड में कुल 3256 अदद् चापाकल चालू अवस्था में है। बन्द पड़े चापाकलों को विभागीय निधि एवं 15वें वित्त आयोग से पाईप बदलकर मरम्मति कर चालू कराया जाता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में सभी चापाकलों की मरम्मति एवं पाईप उपलब्ध कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–195/2022– 1345 राँची, दिनांक :– 3/3/23

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 439, दिनांक– 25.02.2023 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/23

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

191

श्री रणधीर कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 04.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 09 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि सारठ में वृहत ग्रामीण जलापूर्ति योजना जल जीवन मिशन योजना से स्वीकृत है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना का निर्माण कार्य जिस गति से चलना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि योजना का एकरानामा दिनांक– 04.03.2022 को किया गया था एवं योजना पूर्ण करने की तिथि 04.12.2024 है। वर्त्तमान में WTP को छोडकर शेष अवयवों का कार्य प्रगति पर है। योजना की कुल भौतिक प्रगति 27% है। योजना हेतु प्रस्तावित WTP की भूमि वन क्षेत्र में पड़ने के कारण NOC नहीं प्राप्त हो सका है जिस कारण WTP का निर्माण कार्य नहीं किया जा सका है। NOC प्राप्त करने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि जमीन पर कार्य आंशिक होने के बाद भी संवेदक एवं विभागीय अधिकारी की मिलीभगत से कागज पर ही करोड़ों रूपये का भुगतान कर दिया गया है, जिसके चलते यह योजना अधूरी है;	अस्वीकारात्मक। योजना की कुल भौतिक प्रगति 27% है। एकरारनामा में निहित शर्तों के अनुरूप एवं थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेन्सी (TPIA) के जाँचोपरांत विपत्रों का भुगतान किया गया है। उल्लेखनीय है कि राशि का भुगतान निर्माण कार्य के समानुपातिक किया जाता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे भ्रष्ट विभागीय अधिकारी एवं संवेदक पर उक्त योजना की जाँच कराकर विभागीय कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपयुक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–198/2022– 1343 राँची, दिनांक :– 3/3/23

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 523, दिनांक– 25.02.2023 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–198/2022– 1343 राँची, दिनांक :– 3/3/23

प्रतिलिपिः– अपर सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

192

श्री रणधीर कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–08 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री रणधीर कुमार सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पिछले सरकार में सारठ में 132 मेगावाट का ग्रिड स्वीकृत हुआ है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त ग्रिड के कार्य कर रहे संवेदक एवं विभागीय भ्रष्ट अधिकारी के लापरवाही से यह ग्रिड निर्माण कार्य रूका हुआ है ;	अस्वीकारात्मक है। संवेदक मेसर्स बी०जी०आर० इनर्जी सिस्टम लि० द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित ग्रिड को शीघ्र बनाकर चालू कराना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	सारठ में 132/33 के०वी० ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण दिसम्बर 2023 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 487 / दिनांक 03/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23
(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

193

श्री किशुन कुमार दास, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 04.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 04 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि विधान–सभा क्षेत्र सिमरिया में प्रखण्ड टण्डवा गाड़ीलौंग में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा लगभग 9 करोड़ की लागत से जलापूर्ति हेतु पानी टंकी का निर्माण कार्य विगत–4–5 वर्षों से कराया जा रहा है;	स्वीकारात्मक। टण्डवा पुर्नगठन ग्रामीण जलापूर्ति योजना का एकरारनामा दिनांक– 17.04.2018 को किया गया है जिसका एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि 16.04.2020 है परन्तु अबतक योजना की भौतिक प्रगति मात्र 35% है।
2.	क्या यह बात सही है कि संवेदक द्वारा आधा–अधुरा कार्य किया गया है एवं वर्त्तमान समय में कार्य बन्द है, जलापूर्ति कार्य पूर्ण नहीं होने से पेयजल की समस्या से ग्रामीणों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	वर्णित योजना से कुल जनसंख्या 15,320 अदद् का आच्छादन होगा। वर्त्तमान में 158 अदद् चापानल के द्वारा इन क्षेत्रों में जलापूर्ति की जा रही है, जो विभागीय मानक के अनुरूप है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संवेदक पर कार्रवाई करते हुए टण्डवा प्रखण्ड के ग्राम गाड़ीलाँग में जलापूर्ति कार्य हेतु पानी टंकी का निर्माण जल्द से जल्द पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	संवेदक को ससमय कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण एकारारनामा में निहित्त शर्तों के आलोक में Termination की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–193/2022– 1355 राँची, दिनांक :– 3/3/23
प्रतिलिपि :–उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 441, दिनांक– 25.02.2023 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–193/2022–1355 राँची, दिनांक :– 3/3/23
प्रतिलिपि :–अपर सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

(194)

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–10 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री अनन्त कुमार ओझा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि साहेबगंज जिला के प्रखण्ड क्रमशः साहेबगंज ग्रामीण, राजमहल एवं उधवा गंगा नदी तट व मध्य दियारा के 83.15 कि०मि० क्षेत्र में पड़ता है तथा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण इन क्षेत्रों में विद्युत विभाग को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति बाधित होती है;	बाढ़ के समय जलस्तर बढ़ने के कारण जिन क्षेत्रों में (OH) तार से पानी की दुरी मानक अनुरूप नहीं रहने के कारण सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कुछ दिनों के लिए विद्युत आपूर्ति बाधित किया जाता है।
2. क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित क्षेत्रों में 10 प्रतिशत से भी कम अंडरग्राउंड केबलिंग के कार्य हो पाये है, जिससे उन क्षेत्रों में आकस्मिक घटनाएँ की संभावना बनी रहती है और वही स्थिति कमोवेश राज्य के विभिन्न जिलों की है;	खण्ड–1 में वर्णित सिर्फ राजमहल के प्रखण्ड मुख्यालय में ही IPDS योजना अन्तर्गत अंडरग्राउण्ड केबलिंग का कार्य किये गए हैं, अन्य किसी योजनान्तर्गत अंडरग्राउण्ड केबलिंग का कार्य नहीं किया गया है, लेकिन अन्य योजना अन्तर्गत (OH) लाईन सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया है। जिससे आकस्मिक घटनाओं में कमी आई है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित गांगीय क्षेत्र सहित राज्य के विभिन्न जिले में अंडर केबलिंग कार्य पूर्ण कराते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वित्तीय उपलब्धता के अनूरूप RDSS योजना अन्तर्गत कार्य के आवश्यकता एवं महत्ता को देखते हुए कुछ क्षेत्रों में अंडरग्राउण्ड केबलिंग करने हेतु प्रस्ताव किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 479 / दिनांक 03/03/2023

प्रतिलिपिः-- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(195)

सुश्री अम्बा प्रसाद, स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख०–07

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के पकरी बरवाडीह कोल खनन परियोजना के अन्तर्गत एन०टी०पी०सी० द्वारा 100 एकड़ भूमि पर अवैध खनन किया गया है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि सर्वश्री एन०टी०पी०सी० को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के Vesting Order संख्या 13016/29/2003–CA, दिनांक–11.10.2004 के द्वारा हजारीबाग जिलान्तर्गत पकरी बरवाडीह खनन पट्टा आवंटित किया गया है। पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना के अन्तर्गत सर्वश्री एन०टी०पी०सी० को 3319.42 हे० क्षेत्र पर कोयला खनन हेतु भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–No.J-11015/6922007-IA.II(M), दिनांक– 19.05.2009 द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र निर्गत है। सर्वश्री एन०टी०पी०सी० को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रायल, भारत सरकार के पत्रांक– F.No. 8-56/2009-FC, दिनांक–11.05.2010 द्वारा 1026.434 हे० वन भूमि वन– अपयोजन हेतु सर्वश्री एन०टी०पी०सी० को हस्तांतरित है। सर्वश्री एन०टी०पी०सी० के द्वारा उक्त भूमि के अन्दर ही खनन का कार्य किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि कंडिका–01 के आलोक में एन०टी०पी०सी० द्वारा सरकारी खनिज की चोरी एवं रॉयल्टी जमा नहीं करने पर खनन् विभाग द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है;	अस्वीकारात्मक। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा–9 के तहत् खनिजों के प्रेषण पर रॉयल्टी एवं अन्य वैधानिक शुल्क देय है। मेसर्स एन०टी०पी०सी० द्वारा कोयला खनिज के प्रेषण के पूर्व Advance Royalty का भुगतान कर ई–खनिज परिवहन चालान के माध्यम से कोयला खनिज का प्रेषण किया जाता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अवैध खनन के आरोपी एन०टी०पी०सी० के अधिकारियों पर सरकारी खनिज की चोरी के आरोप में एफ०आई०आर० दर्ज कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	यथा कंडिका 1 एवं 2

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(ता०)–24/2023 345 /एम०, राँची, दिनांक:–03/03/2023

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–444 दिनांक–25.02.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव

196

श्री कोचे मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 04.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 02 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि कर्रा प्रखण्ड अन्तर्गत गोविन्दपुर में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु मौजा गोविन्दपुर का चयन वित्तीय वर्ष 2021–22 में किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित योजना का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं किया जा सका है, जिसके कारण इस क्षेत्र में निवास करने वाले स्थानीय ग्रामीणों को नदियों एवं खुले कुएँ का जल पीना पड़ रहा है;	**अस्वीकारात्मक।** वस्तुस्थिति यह है कि गोविन्दपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है। इस योजना के द्वारा 06 (छः) अदद् ग्रामों यथा गोविन्दपुर, गुस्सा टोली, जलंगा, रेहरगढ़ा, डहकेला एवं जरिया के 2,418 अदद् घरों के कुल 13,251 अदद् आबादी को आच्छादित किया जाना है। वर्त्तमान में वर्णित 06 अदद् ग्रामों में 145 अदद् चापाकल एवं 01 अदद् लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना के द्वारा जलापूर्ति की जा रही है, जो विभागीय मानक के अनुरूप है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चयनित स्थल पर पेय जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–191/2022– 1354 राँची, दिनांक :– 3/3/23

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 119, दिनांक– 21.02.2023 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–191/2022– 1354 राँची, दिनांक :– 3/3/23

प्रतिलिपि :–अपर सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

(29) / (197)

डॉ० इरफान अंसारी, स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख०–03

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अन्तर्गत जामताड़ा प्रखण्ड में बराकर नदी पर बजरा घाट अवस्थित है;</td><td>उत्तर अस्वीकारात्मक है।
झारखण्ड के बराकर नदी पर अवस्थित बाजरा घाट धनबाद जिलान्तर्गत पड़ता है एवं जामताड़ा जिलान्तर्गत बराकर नदी पर जुरगूडीह एवं सुखजोरा बालू घाट अवस्थित है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही कि बालू माफियाओं के द्वारा अवैध खनन कर इस घाट से करोड़ों रूपए के बालू की तस्करी गैर कानूनी तरीके से की जाती है, जिसके कारण राज्य को भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है;</td><td>जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स द्वारा जिलान्तर्गत अवैध खनन, परिवहन तथा व्यापार की रोकथाम हेतु निरंतर छापेमारी की जाती है।
विगत तीन वर्षों में बालू के अवैध खनन परिवहन एवं व्यापार की रोकथाम हेतु की गई कार्रवाई से संबंधित विवरण निम्न प्रकार हैः–
<table>
<tr><th>क्र0</th><th>वर्ष</th><th>प्राथमिकी दर्ज की संख्या</th><th>जप्त वाहनों की संख्या</th><th>वसूल की गई राशि (रूपये में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2020–2021</td><td>19</td><td>121</td><td>2,90,390</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2021–2022</td><td>15</td><td>64</td><td>4,76,500</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2022–2023 (माह फरवरी, 2023 तक)</td><td>12</td><td>68</td><td>3,00,000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इन भू–माफियाओं के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने एवं इस अवैध खनन को तत्काल प्रभाव से रोकने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>बालू एवं खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 अधिसूचित है एवं जिला स्तर पर अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरूद्ध जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा निरंतर कार्रवाई की जाती है। गत तीन वर्ष में जिला टास्क फोर्स, जामताड़ के द्वारा की गयी कार्रवाई उपरोक्त कंडिका में वर्णित है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि०स०(ता०)–28/2023 333 /एम०, राँची, दिनांकः–01·03·2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–447 दिनांक–25.02.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव

198

श्रीमती सबिता महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–11 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्रीमती सबिता महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखण्डों में बिजली की व्यवस्था पोल, तार एवं इन्सोलेटर के अभाव में प्रायः विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है;	अस्वीकारात्मक। विद्युत आपूर्ति हेतु पोल, तार एवं इंसूलेटर की आवश्यकता होने पर ससमय उपलब्ध हो जाती है एवं आपूर्ति बाधित नहीं रहती है।
2. क्या यह बात सही है, कि सम्पूर्ण ईचागढ़ विधान सभा क्षेत्र के प्रायः सभी गाँवों में बिजली विपत्र प्रत्येक माह न देकर कई महीनों में एकाएक विपत्र उपभोक्ता को देते हुए नियम की दुहाई देते हुए बिना किसी सूचना के सम्पूर्ण गाँव का ही बिजली कनेक्शन को बाधित कर दिया जाता है;	अस्वीकारात्मक। किसी उपभोक्ताओं द्वारा विपत्र नहीं मिलने की शिकायत पर भीघ्र विपत्र निर्गत करवाया जाता है एवं उपभोक्ता का बकाया राशि जमा नहीं करने पर नियमानुसार उस व्यक्ति की विद्युत आपूर्ति काटी जाती है, पूरे गाँव की विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं की जाती है।
3. क्या यह बात सही है, कि ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के गरीब घरेलु बिजली उपभोक्ताओं को परिकल्पना से भी अधिक बिजली का बिजली विपत्र विलम्ब से देने पर उन्हें मानसिक एवं आर्थिक परेशानियों के साथ-साथ कानूनी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। बिजली विपत्र नियामक आयोग द्वारा निर्गत टैरिफ के अनुसार ही सभी क्षेत्रों में विपत्रीकरण किया जाता है। बिजली विपत्र प्राप्त नहीं होने की शिकायत प्राप्त होने पर उन्हें शीघ्र विपत्र दिया जाता है एवं बकाया राशि एक मुश्त जमा नहीं कर सकने पर किश्त के हिसाब से राशि का भुगतान लिया जाता है ताकि उपभोक्ताओं को मानसिक एवं आर्थिक परेशानियों के साथ-साथ कानूनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में बिजली व्यवस्था सुचारू करने के लिए खण्ड 1 एवं खण्ड-2 में वर्णित बिजली पोल, तार एवं इन्सोलेटर और उच्च क्षमता का ट्रांसफार्मर विभाग को उपलब्ध कराने के साथ-साथ बिजली विपत्र की विसंगति को दूर कर बिजली व्यवस्था सुचारू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के द्वारा ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक राजस्व ग्रामों में बिजली व्यवस्था पहुँचाई गई है। उपभोक्ता उनका लाभ भी ले रहे हैं। विभाग के द्वारा सुदृढ़िकरण हेतु मरम्मती का भी कार्य कराया जाता है। जिस क्षेत्र में ट्रांसफार्मर एवं अन्य बिजली व्यवस्था सुधार हेतु कार्यों का शिकायत प्राप्त होती है या विभाग को जानकारी होती है, सामानों की उपलब्धता के अनुसार उक्त कार्यों का तुरंत संपादन किया जाता है। उपभोक्तओं के सुविधा एवं सुलभ पहुँच हेतु विभाग द्वारा प्रत्येक माह कैंप का आयोजन के साथ-साथ विगत माह से ऊर्जा मेला भी लगाया जा रहा है। जहाँ पर उपभोक्ताओं को बिजली शिकायत से संबंधित कार्यों का त्वरित निष्पादन किया जाना है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 478 / दिनांक 03/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 04.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 01 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि 2022 में धनबाद के निरसा और गोविंदपुर में 215 चापानल की 30350 मीटर गहराई बताकर भुगतान किया गया, जबकि वास्तविक गहराई मात्र 26875 मीटर थी;	**अस्वीकारात्मक।** वर्ष 2022 में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, धनबाद– 01 अन्तर्गत विशेष मरम्मति कार्य के तहत् कुल 56 अदद् नलकूपों का अधिष्ठापन किया गया। 56 अदद् नलकूपों की वास्तविक गहराई 1680.00 मीटर (upto 30 mtr.) एवं 1592.99 मीटर (beyond 30 mtr. to 60m) है, अर्थात् नलकूपों की कुल वास्तविक गहराई 3272.99 (1680+1592.99) मीटर है। 30 मीटर तक की गहराई का Rate 451/- रूपये प्रति मीटर है जबकि उसी Bore का 30 मीटर के बाद की गहराई का Rate 485/- रूपये प्रति मीटर है। सभी 56 अदद् चापाकलों का Bore 30 मीटर से ज्यादा है। वर्णित दर के आधार पर माप पुस्तिका में कुल गहराई 3272.99 मीटर के विरूद्ध एकरारनामा के अनुसार कुल रू० 33,38,983.73 मात्र का भुगतान किया गया है।
2.	यदि उपर्युक्त तथ्य सही है, तो दोषियों पर कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–190/2022– 1344 राँची, दिनांक :– 3/3/23

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 31, दिनांक– 15.02.2023 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–190/2022– 1344 राँची, दिनांक :– 3/3/23

प्रतिलिपि :–अपर सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के० के० पटेल)
सरकार के अवर सचिव।

200

श्री जयप्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा-09 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री जयप्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग जिला के नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत लाखे कॉलोनी अवस्थित है जो घनी आबादी बाहुल्य क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित कॉलोनी के बीचो-बीच से 11 हजार वोल्ट का बिजली तार पास किया गया है जो कई मकानों के ऊपर से होकर गुजरा है, जिससे कई बार दुर्घटनायें भी हो चुकी है और भविष्य में भारी जान-माल की क्षति होने की प्रबल संभावना है;	अस्वीकारात्मक। 11 के०भी० बड़कागाँव Feeder लगभग 40 वर्ष पुराना है। उस वक्त 11 के०भी० Feeder के नीचे कोई आबादी नहीं थी। वर्तमान में लाखे कॉलोनी में रह रहे लोग विभाग को बिना पूर्व सूचना दिए JBVNL के Infrastructure/ बिजली लाईन के नीचे गैर कानूनी रूप से मकान बनाकर रह रहे हैं जिससे दुर्घटना घटती है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लाखे कॉलोनी से गुजरने वाली 11 हजार विद्युत लाईन को अविलंब स्थानान्तरित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	11 के०भी० बड़कागाँव Feeder लगभग 40 वर्ष पुराना है। वर्तमान में लाखे कॉलोनी के रास्ते संकीर्ण एवं घुमावदार रहने के कारण वैकल्पिक मार्ग से 11 के०भी० बिजली लाईन का स्थानान्तरण करने में कठिनाई है। अल्टरनेट रूट प्राप्त होने पर बिजली लाईन स्थानान्तरित कर दिया जाना है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 480 / दिनांक 03/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(201)

श्री निरल पुरती, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा-03 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री निरल पुरती, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि पश्चिमी सिंहभूम के मंझगांव विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत डिग्री कॉलेज, मंझगांव में लगभग 450 छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन हो रहा है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है, कि मंझगांव डिग्री कॉलेज में आधारभूत संरचना के अन्तर्गत बिजली कनेक्शन एवं पहुँच पथ (परिसर के अंदर) उपलब्ध नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पश्चिमी सिंहभूम स्थित मंझगांव डिग्री कॉलेज में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना चाहत है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मझगाँव डिग्री कॉलेज के प्रबंधन द्वारा बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन जमा नहीं किया गया है तथा डिग्री कॉलेज तक बिजली की आधारभूत संरचना का कार्य Deposit मद में किया जाएगा। उक्त आवेदन तथा Deposit मद में राशि कॉलेज प्रबंधन द्वारा जमा करने के उपरांत कार्य को 2 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 484 / दिनांक 03/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 20 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

202

श्री आलोक कुमार चौरसिया, स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख०–02

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के चैनपुर प्रखण्ड के ग्राम–सोकरा ग्रेफाईट माईन्स विगत 1982 से बन्द पड़े है, जिसके कारण माईन्स में चार पाँच गाँवों के लोगों का जीविका बन्द है तथा रोजगार के तलाश में दूसरे प्रदेशों में लोग पलायन कर गये है;	आशिंक रूप से स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि 67.25 एकड़ क्षेत्र में लौह अयस्क का खनन पट्टा B.C.C.L द्वारा धारित था, यह खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2015 के प्रावधानुसार वर्त्तमान में खनन पट्टा की स्वीकृति नीलामी द्वारा किया जाना है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि सरकार के सजगता नहीं होने के कारण आज तक यह माईन्स बन्द पड़े है तथा सरकार की ओर से माईन्स को चालू कराने का पहल नहीं किया गया;	1. सोकरा ग्रेफाईट क्षेत्र में भूतात्विक अन्वेषण का कार्य वर्ष 2018–19 में प्रारंभ किया गया है। प्रथम चरण में G-4 स्तर का भूतात्विक मानचित्रण के साथ वनापत्ति प्राप्त करते हुए 04 वेधन बिन्दुओं पर वेधन का कार्य किया गया है। उसमें से मात्र 01 बिन्दु पर ग्रेफाईट की उपलब्ध पायी गयी है। वन क्षेत्र अंतर्गत होने के कारण वेधन कार्य में हो रही कठिनाई को ध्यान में रख कर अन्य आधुनिक तकनीक के उपयोग से भूतात्विक अन्वेषण कार्य प्रस्तावित है। अन्वेषण उपरांत खनिज उपलब्धता प्रमाणित होने पर नियमानुसार नीलामी की कार्रवाई की जायेगी। 2. पलामू जिला के चैनपुर अंचल अंतर्गत ग्राम–गोरे स्थित 67.25 एकड़ क्षेत्र पर लौह अयस्क (मैग्नेटाईट) खनन पट्टा B.C.C.L. के द्वारा धारित था। उक्त क्षेत्र में मैग्नेटाईट का उत्खनन वृहत रूप से किया जा चुका है। उत्खनन उपरांत खनन पिट में जल जमाव है। वर्तमान में उक्त क्षेत्र में भूतात्विक अन्वेषण प्रस्तावित नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बन्द पड़े सोकरा माईनस को पुनः चालू कराने हेतु निविदा की अहर्ताओं को पूरा कर नये एजेंसी का चयन करते हुए चालू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	यथा उपरोक्त

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि०स०(ता०)–33 / 2023 348 /एम०, राँची, दिनांकः– 03/03/2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–448 दिनांक–25.02.2023 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव